एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 672/2005

अपीलार्थी (कारावास में):

करण सिंह, आत्मज हिच्छा रामधूरी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी मकेश्धर वार्ड, धमतरी, थाना व जिला धमतरी (छ.ग.),

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना कोतवाली, धमतरी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत दांडिक अपील</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील संख्या 672/2005</u>

करण सिंह

-विरुद्ध-

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: -

अपीलार्थी की ओर से श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता/अपर लोक अभियोजक।

निर्णय

(दिनांक 20/02/2006 को पारित किया गया)

1. यह अपील श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण संख्या 41/2002 में पारित निर्णय दिनांक 16.8.2005 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20(ख)(i) के तहत सिद्धदोष ठहराया गया और उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास

और 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास के दण्ड से दंडित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का वृत्तांत यह है कि दिनांक 6.4.2002 को, सहायक उप निरीक्षक, जिला उड़नदस्ता, धमतरी, श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति, गांजा के अनधिकृत कब्जे में मकेश्वर वार्ड की ओर जा रहे हैं। आवश्यक विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात, वह साक्षियों छबीलाल अ.सा. 1, संतोष अ.सा. 2 और पुलिस बल के साथ मकेश्वर वार्ड पहुँचे। मकेश्वर वार्ड में सार्वजनिक शौचालय के निकट, अपीलार्थी को जो अपने हाथ में एक सफेद प्लास्टिक की बोरी लिए हुए था, पकड़ा गया। अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नोटिस तामील करने के पश्चात, अपीलार्थी के कब्जे वाली बोरी की तलाशी ली गई। उसमें गांजा जैसा पदार्थ पाया गया। तौलने पर बोरी की सामग्री 5 किग्रा और 200 ग्राम पाई गई। 100-100 ग्राम के दो नमूने लिए गए और उन्हें मुहरबंद किया गया। बोरी और दो नमूनों को प्रदर्श पी5 के अनुसार दिनांक 6.4.2002 को ही जब्त किया गया, और उसी दिन उन्हें मालखाना थाना सिटी कोतवाली, धमतरी में प्रदर्श पी13 (सी) के अनुसार सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया। नमूनों को सील करने के लिए उपयोग की गई मुहर का एक नमूना प्रभाव भी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपा गया था। उसी दिन पुलिस अधीक्षक, धमतरी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के ज्ञापन प्रदर्श पी15 के माध्यम से सफेद प्लास्टिक की बोरी और दो नमूना पैकेटों को न्यायालयिक प्रयोगशाला, रायपुर विश्लेषण हेतु आरक्षक भीषम सिंह नेताम के माध्यम से भेजा गया। ये वस्तुएं एफ.एस.एल., रायपुर में दिनांक 8.4.2002 को प्राप्त हुई। दिनांक 18.4.2002 के प्रतिवेदन के माध्यम से, न्यायालयिक प्रयोगशाला ने मत व्यक्त किया कि रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए सभी 3 पैकेटों में गांजा था। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 20(ख)(i) के तहत अभियोजित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी ने दोष से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवचन किया। अभियोजन ने दो स्वतंत्र साक्षियों छबीलाल अ.सा. 1 और संतोष अ.सा. 2, स.उ.नि. अशोक द्विवेदी अ.सा. 3, मालखाना मोहर्रिर रथराम पटेल अ.सा. 4., डी.एस.पी. अशोक पिपरे अ.सा. 5 और आरक्षक भीषम सिंह नेताम अ.सा. 6 का परीक्षण कराया। अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. अभियोजन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में न्यायालयिक प्रयोगशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। उक्त प्रतिवेदन के संबंध में कोई उल्लेख न तो स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 और न ही आरक्षक श्री भीषम सिंह नेताम अ.सा. 6 के परिसाक्ष्य में पाया गया। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण के दौरान भी, अभियुक्त से न्यायालयिक

प्रयोगशाला के प्रतिवेदन के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। न्यायालयिक प्रयोगशाला के प्रतिवेदन का कोई विधिक प्रमाण न होने और इस तथ्य के बावजूद कि स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया था विद्वान विचारण न्यायाधीश ने स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 के परिसाक्ष्य पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी को कंडिका 1 में वर्णित अनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कोचर ने तर्क दिया है कि यह दर्शाने के लिए कोई विधिक साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी से जब्त किया गया पदार्थ गांजा था। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द.प्र.सं. की धारा 293 के तहत यथा अपेक्षित साक्ष्य के रूप में न्यायालयिक प्रयोगशाला के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विफल रहा है, अतः स.उ.नि. अशोक द्विवेदी (अ.सा. 3) का साक्ष्य अभियुक्त को अधिनियम की धारा 20(ख)(i) के तहत दोषसिद्ध करने का आधार नहीं बन सकता। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलार्थी को एफ.एस. एल. के प्रतिवेदन, जो कि उसके विरुद्ध एक साक्ष्य के रूप में प्रतीत हो रहा था, को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, अतः अधिनियम की धारा 20(ख)(i) के तहत दोषसिद्धि विधिक दृष्टि में स्थिर नहीं रह सकती। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(ख)(i) के तहत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यक अपेक्षित प्रमाण से कम था क्योंकि स्वतंत्र साक्षियों छबीलाल और संतोष अ.सा. 2 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था और अधिनियम की धारा 55 के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया, यद्यपि औपचारिक रूप से।

6. अधिनियम की धारा 20(ख)(**i**) के अंतर्गत अपराध में कठोर दंड विहित है जो 10 वर्ष तक विस्तारित हो सकता है और अर्थदण्ड जो 1 लाख रुपये तक भी हो सकता है। अतः यह अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने वाले न्यायालय का पवित्र दायित्व, अपितु कर्तव्य है कि वह सूक्ष्मता से जांच करे कि क्या अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और क्या अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए विधिक प्रमाण उपलब्ध था कि अपीलार्थी से जब्त किया गया पदार्थ गांजा था, बजाए यांत्रिक रूप से दोषसिद्धि दर्ज करने और दण्ड देने के। खेदजनक रूप से, विद्वान विचारण न्यायाधीश अपने कर्तव्य में विफल रहीं। यद्यपि निर्णय की कंडिका 19 में, विचारण न्यायाधीश ने स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 के परिसाक्ष्य का संदर्भ दिया है और उल्लेख किया है कि साक्षी के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि नमूने का मुहरबंद पैकेट न्यायालयिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रयोगशाला को भेजा गया था और गांजा के संबंध में एक सकारात्मक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, किंतु स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 के संपूर्ण साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन पर, मैं पाता हूँ कि उनके साक्ष्य में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि या तो नमूना रासायनिक विश्लेषण हेतु न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था या यह कि न्यायालयिक प्रयोगशाला का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था या सकारात्मक रूप से यह दर्शाया गया था कि नमूने में गांजा होने का मत दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख को एक बार भी देखे बिना निर्णय की कंडिका 19 में सरसरी तौर पर टिप्पणी की। यह स्थापित विधि है कि साक्ष्य का प्रत्येक अंश जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग किया जाना है, उसे द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण के दौरान अभियुक्त के समक्ष रखा जाना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने से पूर्व न्यायालयिक प्रयोगशाला के प्रतिवेदन पर परीक्षण करना आवश्यक भी नहीं समझा। विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण इस न्यायालय के न्यायिक विवेक को स्तब्ध करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभिलेख यह नहीं दर्शाता कि विचारण के दौरान किसी भी समय, न्यायालयिक प्रयोगशाला का साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और द.प्र.सं. की धारा 293 के तहत यथा अपेक्षित साक्ष्य के रूप में

प्रदर्शांकित किया गया था। स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 के साक्ष्य में भी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि उनके पास यह विश्वास करने का कोई कारण था कि अपीलार्थी से जब्त पदार्थ गांजा था। अतः अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी से जब्त किया गया कथित पदार्थ गांजा था।

8. स्वतंत्र साक्षियों छबीलाल अ.सा. 1 और संतोष अ.सा. 2 ने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया। यद्यपि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी5 पर स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 द्वारा उपयोग की गई मुहर का नमूना छाप अंकित है, फिर भी न्यायालयिक प्रयोगशाला का प्रतिवेदन उन 3 पैकेटों पर पाई गई मुहरों का कोई भी विवरण नहीं देता है जो परीक्षण के लिए भेजे गए थे। जब्ती पत्रक प्रदर्श पी5, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी14 और मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी13 (सी) यह नहीं दर्शाते कि स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 द्वारा प्लास्टिक की बोरी या दो नमूनों पर कोई पहचान चिह्न दिए गए थे। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श **P**.13(सी) यह भी नहीं दर्शाता कि प्लास्टिक की बोरी मुहरबंद अवस्था में सौंपी गई थी। प्रधान आरक्षक रथराम पटेल अ.सा. 4 का परिसाक्ष्य यह नहीं दर्शाता कि अधिनियम की धारा 55 के तहत यथा अपेक्षित, उक्त वस्तुओं को मालखाना की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपने से पूर्व, थाना प्रभारी ने वस्तुओं पर अपनी मुहर अंकित की थी ताकि नमूनों के साथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को रोका जा सके। जब्ती के समय से मालखाना में सौंपे जाने तक, नमूना पैकेटों और प्लास्टिक की बोरी पर कोई पहचान चिह्न नहीं दिए गए थे। अतः, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजे गए पैकेटों पर पहचान चिह्न ए, ए1 और ए2 कैसे पाए गए।

9. यद्यपि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी13 (सी) की प्रति यह दर्शाती है कि नमूनों को सील करने के लिए उपयोग की गई मुहर का नमूना प्रभाव भी मालखाना मोहर्रिर को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सौंपा गया था, फिर भी न्यायालयिक प्रयोगशाला का प्रतिवेदन यह नहीं दर्शाता कि ऐसी कोई मुहर या तो प्राप्त हुई थी या न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण हेतु भेजे गए पैकेटों की सामग्री की जांच करने से पूर्व उसका मिलान किया गया था। रिकॉर्ड यह भी नहीं दर्शाता कि जब्त वस्तुएं और मुहर का नमूना प्रभाव विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर इसकी संपूर्णता में विचार करने के पश्चात, निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं:-

> **i)** अभियोजन यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी से जब्त पदार्थ गांजा था क्योंकि न्यायालयिक प्रयोगशाला का प्रतिवेदन साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया और प्रदर्शित नहीं किया गया तथा द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत उसके परीक्षण में अभियुक्त को इसे स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया।

ii) अधिनियम की धारा 55 के पूर्ण अनुपालन के अभाव और इस तथ्य के साथ कि न्यायालयिक प्रयोगशाला को मिलान के लिए मुहर का कोई नमूना प्रभाव नहीं भेजा गया था, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित पदार्थ के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

iii) स्वतंत्र साक्षियों छबीलाल अ.सा. 1 और संतोष अ.सा. 2 ने अभियोजन पक्ष के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया था।

iv) स.उ.नि. श्री अशोक द्विवेदी अ.सा. 3 के साक्ष्य में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किया गया पदार्थ गांजा था।

11. उपरोक्त परिस्थितियों में, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 20(ख)(**i**) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत दिया गया दण्ड अपास्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो अपीलार्थी को तत्काल मुक्त किया जाए। अर्थदण्ड, यदि संदत्त किया गया हो, तो अपीलार्थी को वापस किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**